संख्या- 81/2676/30-3-14-10बी/2013-1

प्रेषक,

नर्वेद सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनॉक 13 नवम्बर, 2014

विषय- प्रदेश के पूर्व निर्मित सम्भागीय परिवहन कार्यालय-मेरठ व मुरादाबाद में सारथी साफ्टवेयर आधारित स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिये हाल के निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-2237ए/2014-17नजारत/2013, दिनॉक 16-09--2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के पूर्व निर्मित सम्भागीय परिवहन कार्यालय-मेरठ व मुरादाबाद में सारथी साफ्टवेयर आधारित स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिये हाल के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-2011/30-3-2013-10बी/2013, दिनॉक 13-09-2013 के क्रम में मानकीकृत नक्शों के अनुरूप प्रति कार्यालय के लिये अनुमोदित लागत धनराशि रू0 165.00 लाख के आधार पर चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में धनराशि रू0 330.00 लाख (रू0 तीन करोड. तीस लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं उक्त धनराशि अवमुक्त करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

2- आहरित धनराशि पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

3- प्रायोजना का अन्तिम रूप से अनुमोदित मानचित्र/डिजाइन के अनुसार सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य कराया जाय।

4- परियोजना निर्माण में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- निर्माण के समय कार्य की विशिष्टियॉ, मानक व गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।

6- उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो, इसका पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।

2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

7- परियोजना का निर्माण कार्य चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में ही पूर्ण कर लिया जायेगा और इसका उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा और इस हेतु कोई पुनरीक्षित लागत स्वीकृत नहीं की जायेगी।

8- पूर्व निर्मित सम्भागीय/उप सम्भागीय परिवहन कार्यालयों में सारथी साफ्टवेयर आधारित स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिये हाल के निर्माण के मानकीकरण शासनादेश संख्या-2011/30-3-13-10बी/2013टी0सी0, दिनॉक 13-09-2013 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9- उक्त व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व आपका होगा।

10- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में लेखाशीर्ष "4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-07-सम्भागीय परिवहन कार्यालयों में सारथी हॉल का निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

11- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित किये गये आदेशों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ह0

(नर्वेद सिंह)

संयुक्त सचिव।

संख्या-81/2676(1)/30-3-2014, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।

4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

5- सम्भागीय परिवहन अधिकारी, मेरठ व मुरादाबाद द्वारा परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

6- नियोजन अनुभाग-4

7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9

8- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।

9- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था-उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लि0 द्वारा परिवहन आयुक्त।

10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0

(नर्वेद सिंह)

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in